न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्याः– 88/2025
जीसीएमएस नंबरः 2025/223

प्रार्थीः–

1. पपुडी पत्नी श्री भीयाराम, उम्र 62 वर्ष निवासी लोरडी देजगरा, चक 1 तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

–::आदेश::– दिनांकः– 3/10/2025

उपस्थितिः– 1. श्री मदनलाल बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर ।

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लोरडी देजगरा चक–1 पटवार हल्का लोरडी देजगरा भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र बागा के खसरा सं. 75 76 व 76/1 कुल रकबा 3.7554 हैक्ट. है जिसके नया खाता सं. 138 व पुराना खाता सं. 16 है। जो जमाबंदी संवत् 2079–2082 से साबित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा है। उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि में खरीद के पश्चात् प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते समय पपुडी की जगह पप्पुदेवी इन्द्राज कर दिया गया। प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम पपुडी ही है। ऐसे में प्रार्थीया के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक में प्रार्थीया का सही नाम पपुडी ही दर्ज है। अतः प्रार्थीया का सही नाम पपुडी पत्नी श्री भीयाराम इन्द्राज करते हुए गलती से दर्ज हुए नाम पप्पुदेवी पत्नी श्री भीयाराम को दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोधपुर द्वारा क्रमांक रीडर/2025/780 दिनांक 16.09.2025 को रिपोर्ट पेश करते हुए कथन किया कि ग्राम लोरडी देजगरा चक 1 के खसरा सं. 75, 76, 76/1 में पप्पूदेवी पत्नी भींयाराम वगै. जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। ग्राम लोरडी देजगरा चक 1 के नामा. सं. 491 के रजिस्ट्रर्ड बेचान से कोजाराम, पेमाराम, बागाराम वगै. द्वारा बैचान से पप्पूदेवी पत्नी भींयाराम वगै. जाति जाट सा. देह दर्ज हुआ। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, जनआधार कार्ड में पप्पूडी पत्नी भींयाराम दर्ज है। पटवार हल्का रिपोर्ट एवं सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर पप्पुदेवी उर्फ पपुडी नाम शुद्ध किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। ग्राम लोरडी देजगरा चक 1 के खसरा सं. 75, 76, 76/1 में पप्पूदेवी पत्नी भींयाराम वगै. जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। ग्राम लोरडी देजगरा चक 1 के नामा. सं. 491 के रजिस्ट्रर्ड बेचान से कोजाराम, पेमाराम, बागाराम वगै. द्वारा बैचान से पप्पूदेवी पत्नी भींयाराम वगै. जाति

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

जाट सा. देह दर्ज हुआ, जो मात्र लिपीकीय त्रुटि है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, जनआधार कार्ड में पप्पूडी पत्नी भींयाराम दर्ज है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित गांव लोरडी देजगरा, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र बागा तह. व जिला जोधपुर के खसरा सं. 75, 76, व 76/1 जिसके नया खाता सं. 138 व पुराना 16 है की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम पप्पुदेवी पत्नी श्री भीयाराम के स्थान पर पप्पुदेवी उर्फ पपुडी पत्नी श्री भीयाराम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं। तहसीलदार जोधपुर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 31.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर